भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3629

जिसका उत्तर 10.08.2023 को दिया जाना है

सड़क दुर्घटना

3629. श्री राजकुमार चाहर:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मोटर वाहन चलाते समय वाहन चालकों की झपकी/नींद/उनींदा होने के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने और वाहन चालकों में और अधिक जागरुकता पैदा करने के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गई है या किए जाने का विचार है;

(ग) ऐसी पहलों के क्या परिणाम रहें हैं;

(घ) क्या उपरोक्त कारण से होने वाली दुर्घटनाओं, मौतों और घायल व्यक्तियों के आंकड़े एकत्रित किए गए है; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ड.) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार सड़क दुर्घटनाएं कई कारणों से होती हैं जैसे तेज गति से वाहन चलाना, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग, शराब पीकर और नशे में वाहन चलाना, विपरित दिशा में वाहन चलाना/लेन में वाहन नहीं चलाना, लाल बत्ती पार करना, हेलमेट और सीट बेल्ट जैसे सुरक्षा उपकरणों का उपयोग न करना, वाहन की स्थिति, खराब मौसम, सड़क की दशा, चालक/साइकिल चालक/पैदल यात्री की गलती आदि।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2021 के लिए देश में यातायात नियमों के उल्लंघन के आधार पर वर्गीकृत सड़क दुर्घटनाओं, घातकताओं और घायलों की संख्या निम्नलिखित तालिका में दी गई है: -

श्रेणी	**सड़क दुर्घटनाएं**	**घातकताएं**	**घायल**
तेज गति से वाहन चलाना	295522	107236	280285
शराब पीकर/नशे में वाहन चलाना	9150	3314	7509

विपरित दिशा में वाहन चलाना/लेन में वाहन नहीं चलाना	21491	8122	20351
लाल बत्ती पार करना	2203	679	1905
मोबाईल फोन का उपयोग	6530	2982	5394
अन्य	77536	31639	69004
कुल	**412432**	**153972**	**384448**

मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा के मुद्दे का समाधान करने के लिए शिक्षा, इंजीनियरिंग (सड़क और वाहन दोनों), प्रवर्तन और आपातकालीन सेवा के आधार पर एक बहु-आयामी रणनीति तैयार की है। तदनुसार, मंत्रालय द्वारा विभिन्न पहल की गई हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

(1) शिक्षा:

i. मंत्रालय, सड़क सुरक्षा के बारे में प्रभावी जन जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से सड़क सुरक्षा पर विभिन्न प्रचार उपाय और जागरूकता अभियान चलाता है। इसके अलावा, मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा प्रचार करने के लिए विभिन्न एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना लागू की है।
ii. जागरूकता फैलाने और सड़क सुरक्षा सुदृढ़ीकरण के लिए प्रति वर्ष राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह/ सप्ताह मनाना।
iii. मंत्रालय के अंतर्गत अधीक्षण अभियंता स्तर या इसके समकक्ष तक के तकनीकी अधिकारियों के लिए सड़क सुरक्षा लेखा परीक्षक प्रमाणन पाठ्यक्रम अनिवार्य किया गया है।
iv. मंत्रालय, ड्राइविंग प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पूरे देश में राज्य/जिला स्तर पर ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आईडीटीआर), क्षेत्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (आरडीटीसी) और ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी) की स्थापना हेतु एक योजना लागू कर रहा है।

(2) इंजीनियरिंग (सड़क और वाहन दोनों)

2.1 सड़क इंजीनियरिंग:

i. सड़क सुरक्षा को योजना स्तर पर सड़क डिजाइन का एक अभिन्न अंग बनाया गया है।
ii. सभी चरणों अर्थात् डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव आदि में तीसरे पक्ष के लेखा परीक्षकों/विशेषज्ञों के माध्यम से सभी राष्ट्रीय राजमार्गों (रारा) का सड़क सुरक्षा ऑडिट (आरएसए) करवाना अनिवार्य कर दिया गया है।
iii. राष्ट्रीय राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट्स/दुर्घटना संभावित स्थानों को चिह्नित और सुधार करने को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

iv. आरएसए, ब्लैक स्पॉट्स ठीक करने और सड़क सुरक्षा संबंधी अन्य कार्यों को देखने के लिए मंत्रालय के अंतर्गत सड़क स्वामित्व वाली एजेंसियों के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में सड़क सुरक्षा अधिकारी (आरएसओ) को नियुक्त किया गया है।

v. मंत्रालय के तहत आदर्श सुरक्षित सड़कों के रूप में विकसित करने के लिए रारा के 130 खंडों की पहचान की गई है।

vi. मंत्रालय के तहत आदर्श सुरक्षित सड़कों के रूप में विकसित करने के लिए रारा के 85 परियोजना खंडों की पहचान की गई है।

vii. पूरे देश में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों को दर्ज करने, उनके प्रबंधन और विश्लेषण के लिए एक केंद्रीय भंडार स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ई-डीएआर) परियोजना शुरू की गई है।

viii. मंत्रालय और आईआरसी ने विभिन्न सड़क सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए समय-समय पर विभिन्न कोड और दिशानिर्देश जारी किए हैं, ताकि राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं को कम किया जा सके।

ix. मंत्रालय ने दिनांक 20.07.2023 के पत्र के माध्यम से चालकों के लिए बेहतर दृश्यता और सहज मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के सर्वोत्तम तरीकों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को शामिल करके एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर संकेतकों के प्रावधान के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश चालकों को स्पष्ट और संक्षिप्त मार्गदर्शन, चेतावनियां, नोटिस और नियामक जानकारी प्रदान करने के लिए तैयार किए गए हैं, जिससे सड़कों पर निर्बाध और सुरक्षित यात्रा में मदद मिल सके।

2.2 वाहन इंजीनियरिंग:

मंत्रालय ने वाहनों को सुरक्षित बनाने के लिए विभिन्न पहल की हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

i. मंत्रालय ने वाहन की अगली सीट पर चालक के बगल में बैठे यात्री के लिए एक एयरबैग के अनिवार्य प्रावधान को अधिसूचित किया है।

ii. मंत्रालय ने 15 फरवरी, 2022 की अधिसूचना के माध्यम से मोटर साइकिल पर सवारी करने या ले जाने वाले चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सुरक्षा उपायों से संबंधित मानदंड निर्धारित किए हैं। इसके अलावा, इसमें एक सुरक्षा हार्नेस, क्रैश हेलमेट के उपयोग को निर्दिष्ट किया गया है और गति को 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित किया गया है।

iii. मंत्रालय ने 01 जुलाई 2019 से निम्नलिखित सूचीबद्ध सुरक्षा प्रौद्योगिकियों के अनिवार्य रूप से लगाए जाने को अधिसूचित किया है।

एम1 श्रेणी के वाहनों के लिए:

- चालक और सह-चालक के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर (एसबीआर)
- सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम के लिए मैनुअल ओवरराइड

- ओवर स्पीडिंग चेतावनी प्रणाली

सभी एम और एन श्रेणी के वाहनों के लिए:

- रिवर्स पार्किंग चेतावनी प्रणाली

iv. मंत्रालय ने एल [चार पहियों से कम वाले मोटर वाहन और क्वाड्रिसाइकिल शामिल है] एम [यात्रियों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम चार पहियों वाले मोटर वाहन] और एन [माल के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम चार पहियों वाले मोटर वाहन, जो बीआईएस मानकों में निर्धारित शर्तों के अधीन माल के अलावा व्यक्तियों को भी ले जा सकते हैं] श्रेणियों के कुछ वर्गों के लिए एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस) अधिदेशित किया है।

v. मंत्रालय ने आगे से टक्कर की स्थिति में सवारी की सुरक्षा, आमने-सामने से टक्कर की स्थिति में वाहन के स्टीयरिंग पर नियंत्रण की आवश्यकताओं,पीछे से टक्कर की स्थिति में सवारी की सुरक्षा के लिए और मोटर वाहन से टक्कर की स्थिति में पैदल चलने वालों और अन्य असुरक्षित सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा के संबंध में वाहनों के अनुमोदन को अनिवार्य कर दिया है।

vi. मंत्रालय ने दो पहिया, तीन पहिया, क्वाड्रिसाइकिल, दमकल वाहन, एम्बुलेंस और पुलिस वाहनों को छोड़कर सभी परिवहन वाहनों में गति नियंत्रण फंक्शन/ गति नियंत्रण डिवाइस को अनिवार्य कर दिया है।

vii. मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2019 को और उसके बाद विनिर्मित पूरी तरह से निर्मित बसों (चालक को छोड़कर 22 यात्रियों या उससे अधिक के बैठने की क्षमता वाली) में आग का पता लगाने, अलार्म और दमन प्रणाली की आवश्यकताओं के अनुपालन को अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा, 01 अक्टूबर, 2023 से एम3 श्रेणी की टाइप III बसों और स्कूल बसों में सवारी के कंर्पामेंट में फायर अलार्म और सुरक्षा प्रणाली का अनुपालन भी अनिवार्य किया गया है।

viii. मंत्रालय ने एक प्रपत्र निर्धारित किया है, जिसमें वाहन निर्माता मोटर वाहनों के पंजीकरण के लिए सड़क योग्यता प्रमाणन जारी करते हैं।

ix. मंत्रालय ने अधिसूचना सा.का.नि. 652(अ), दिनांक 23 सितंबर, 2021 और इसमें संशोधन की अधिसूचना सा.का.नि. 797(अ), 31 अक्टूबर, 2022 के माध्यम से स्वचालित परीक्षण स्टेशनों (एटीएस) की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण के लिए नियम प्रकाशित किए हैं। ये नियम स्वचालित उपकरणों के माध्यम से वाहनों के फिटनेस परीक्षण की प्रक्रिया और एटीएस द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया को परिभाषित करते हैं। ये नियम 25 सितंबर, 2021 से लागू हैं।

x. मंत्रालय ने अधिसूचना सा.का.नि. 653 (अ), दिनांक 23 सितंबर, 2021 और सा.का.नि. 695 (अ), दिनांक 13 सितंबर, 2022 द्वारा इसके संशोधन के माध्यम से पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र (आरवीएसएफ) की स्थापना के लिए मोटर वाहन (वाहन स्क्रैपिंग केंद्र का पंजीकरण और

कार्य) नियमावली, 2021 प्रकाशित की है। ये नियम आरवीएसएफ के लिए ऐसे केंद्रों की स्थापना और संचालन की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं।

xi. मंत्रालय ने प्रोत्साहन/हतोत्साहन के आधार पर पुराने, अनुपयुक्त प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए वाहन स्क्रैपिंग नीति तैयार की है।

xii. स्वचालित प्रणाली के माध्यम से वाहनों की फिटनेस की जांच के लिए केंद्रीय सहायता से प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक आदर्श निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र स्थापित करने की एक योजना है।

(3) प्रवर्तन:

i. मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 में यातायात नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने और इनके उल्लंघन के प्रतिवारण बढ़ाने और प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सख्त प्रवर्तन के लिए कठोर शास्तियों का प्रावधान किया गया है।

ii. मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और सड़क सुरक्षा के प्रवर्तन के लिए अधिसूचना सा.का.नि.575(अ), दिनांक 11 अगस्त, 2021 जारी की है। इन नियमों में इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरणों (स्पीड कैमरा, क्लोज्ड-सर्किट टेलीविजन कैमरा, स्पीड गन, बॉडी वियरेबल कैमरा, डैशबोर्ड कैमरा, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर), वेट इन मशीन (डब्ल्यूआईएम) और राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट ऐसी अन्य तकनीक) को लगाने के विस्तृत प्रावधान किए गए हैं।

(4) आपातकालीन सेवा:

i. मंत्रालय ने ऐसे गुड समारिटन्स की सुरक्षा के लिए सा.का.नि. 594 (अ)**,** दिनांक 29.09.2020 के माध्यम से नियम प्रकाशित किए हैं**,** जो भलाई की मंशा से स्वेच्छा से तथा बिना किसी इनाम या मुआवजे की उम्मीद के दुर्घटना के समय पीड़ित की आपातकालीन चिकित्सा या गैर-चिकित्सीय देखभाल करते या सहायता करते हैं या ऐसे पीड़ित को अस्पताल पहुंचाते हैं।

ii. मंत्रालय ने दिनांक 25 फरवरी, 2022 की अधिसूचना के माध्यम से हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों के मुआवजे को बढ़ा दिया है (गंभीर चोट के लिए 12,500 रुपये से 50,000 रुपये और मृत्यु के लिए 25,000 रुपये से 2,00,000 रुपये)।

iii. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों के पूरे हो चुके कॉरिडोर के टोल प्लाजाओं पर पैरामेडिकल स्टाफ/आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन/नर्स के साथ एम्बुलेंस तैनात करने का प्रावधान किया है।

*****